रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 186] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 14, 1973/श्रावण 23, 1895
No. 186] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 14, 1973/SRAVANA 23, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 14th August 1973

SUBJECT .—*Import Policy for iron and steel items for the period April 1973—March 1974.*

No. 132-ITC (PN)/73.—Attention is invited to para 8 of Appendix 41 of the I. T. C. Policy Red Book (Volume 1) for the period April 1973—March 1974 in terms of which existing large scale units engaged in priority industries (non-IDA Industry) are required to submit separate applications to the licensing authorities and not through the sponsoring authorities for grant of release orders in respect of steel items, the import of which is canalised through the public sector agencies.

2. It has been decided that large scale units engaged in I.D.A. industries can also submit separate applications direct to the licensing authorities concerned in respect of canalised items of iron and steel in accordance with the procedure laid down in the aforesaid para 8 of Appendix 41 of the Import Trade Control Policy Red Book (Volume 1) for April 1973--March 1974. Such applications should be made by units engaged in I.D.A. industries to the licensing authorities to whom they have otherwise to apply for import of raw materials, components and spares.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियन्त्रण

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1973

विषय .—अप्रैल, 1973—मार्च 1974 अवधि के लिए लोहा और इस्पात मदों के लिये आयात नीति

संख्या 132-आई० टी० सी० (पीएन)/73.—अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 अवधि की आयात व्यापार नियंत्रण नीति रेड बुक (वा० 1) के परिशिष्ट 41 के पैरा 8 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिस के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त उद्योग (गैर अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण उद्योग) में लगे हुए वर्तमान वृहत् पैमाने के एककों के लिए इस्पात की उन मदों के सम्बन्ध में रिहाई आदेशों की मंजूरी के लिए लाइसेंस प्राधिकारियों को अलग से आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने आवश्यक हैं प्रायोजक प्राधिकारियों के माध्यम से नहीं जिनका आयात सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के माध्यम से सरणीबद्ध है।

2. यह निश्चय किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के उद्योगों में लगे हुए वृहत् पैमाने एकक भी लोहा तथा इस्पात की सरणीबद्ध मदों के सम्बन्ध में अलग आवेदन-पत्र अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति रेड बुक (वा० 1) के परिशिष्ट 41 के पूर्वोक्त पैरा 8 में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों को सीधे प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के उद्योगों में लगे हुए एककों द्वारा ऐसे आवेदन-पत्र उन्हीं लाइसेंस प्राधिकारियों को दिए जाने चाहिएं जिन से कच्चे माल, संघटकों और फालतू पुर्जों के आयात के लिए अन्य परिस्थितियों में आवेदन करना है।

SUBJECT .—*Import Policy for the year April 1973—March 1974.*

No. 133-ITC (PN)/73.—Attention of importers is invited to the import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book Vol. I) for the period April 1973—March 1974.

2. The following amendments shall be made at appropriate places in the Import Trade Control Policy (Red Book-Volume I) for the period April 1973—March 1974 :—

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
44.	Section II, S. No./(1)/III, Column 4.	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following :— " (1) A. U. for import of ethyl cellulose for manufacture of protective coating compound only. (2) A. U. on restricted basis for import of methyl cellulose."
44.	Section II, S.No.1(*a*)/III, Column 4, remark(1)	The existing remark may be deemed to have been substituted by the following :— " (1) Requirements of sodium nitrite of actual users will be met on a restricted basis by imports through public sector agency. Please see Section III to this Red Book."

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
49	Section II, S.Nos. 127-129/IV, Column 4, Remark (1).	(1) The existing remark (1) may be deemed to have been substituted by the following remarks :— " (1) A. U. for import of natural essential oils other than those mentioned below for manufacturers of aromatic chemicals and perfumery compounds. (2) A. U. on restricted basis for import of natural essential oils other than those mentioned below for manufacturers of flavouring essences, synthetic essential oils, pharmaceutical products, fruits canning industries, confectionery, biscuits, agarbatties, cosmetics and toilet soap." (2) The exiting remarks (2) to (6) may be renumbered accordingly.
185	Section V, Appendix 21, Paragraph 2.	The last sentence *viz.*, ' The applications for quota licences should be accompanied by 5 copies each of (a) technical magazines and journals; (b) News magazines ; and (c) Non-technical magazines and journals' may be deemed to have been substituted by the following:— "The applications for quota licences should be accompanied by 5 copies each of the lists of (*a*) technical magazines and journals ; (*b*) News magazines ; and (*c*) Non-technical magazines and journals sought to be imported."
291	Section V, Appendix 46, Item No. 6.	The description of this item may be deemed to have been amended to read as under :— "6. Battery separators other than Rubber and Wooden."
341	Section V, Appendix 74	Above the S. No. 1 (d) (i)/III the following entries may be deemed to have been inserted under the respective columns.

1	2	3
1(a)/III	Sodiumnitrite	Release orders will be issued to the extent of 25 per cent of the entitlement.

341	Section V, Appendix 74, S. No. 1 (f)/III Column 2, item (ii).—Ethyl cellulose (for manufacture of protective coatings).	This item may be deemed to have been deleted.
341	Section V, Appendix 74, S. Nos. 127-129/IV, Column 2, item (i).	The existing description of this item may be deemed to have been substituted by the following :— " (i) Natural essential oils (permissible types), other than those mentioned below, for manufacture of flavouring essences, synthetic essential oils, pharmaceutical products, fruits canning industries, confectionery, biscuits, agarbatties, cosmetics and toilet soap."

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
348	Section V, Appendix 74, S.No. 22, 31/V (Appendix 28) item No. 27, Columns 2 and 3.	The existing entries may be deemed to have been substituted by the following:—

"	2	3
27	(*a*) Arsenic Trioxide	20 per cent of the face value of the licence or Rs.10,000/- whichever is less.
	(*b*) Arsenic Pentoxide	5 per cent of the face value of the licence or Rs. 2,500/- whichever is less".

349—351	Section V, Appendix 74, S. No. 22, 31/V (Appendix 28)	The import of the following P.V. C. stabiliers appearing at S. Nos. 56, 68, 70 and 94 will be allowed for an aggregate value upto 20 per cent of the face value of the licence or Rs. 10,000/- whichever is less:— 56. Liquid barium cadmium and barium cadmium zinc complex. 68. Non-toxi stabiliers. 70. Organo tin stabiliers. 94. Solid barium cadmium complex. The existing entries against these items in column 3 may be deemed to have been amended accordingly.
352	Section V, Appendix 74, items shown against Appendix 46.	(1) The description of item No. 5 may be deemed to have been amended to read as under :— "5. Battery separators (other than Rubber and Wooden) but excluding P. V. C. battery separators." (2) The following entries may be deemed to have been inserted under columns 2 and 3 :—

	2	3
	8. P.V.C. battery separators.	25 per cent of the face value of the licence or Rs. 50,000/- whichever is less.

विषय :—अप्रैल, 1973–मार्च, 1974 वर्ष के लिए आयात नीति ।

सं० 133 आई० टी० सी० (पीएन)/73.—आयातकों का ध्यान अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 वर्ष के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक–वा०–1) में यथा निहित आयात नीति की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक-वा०-1) में उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

रेड बुक (वा०-1) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधनों के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)
44	खंड 2 क्रम सं० 1(एफ)/3 कालम 4	वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— "(1) संरक्षी आलेप संमिश्रण मात्र के निर्माण के लिए ईथिल सैलूलोज़ के आयात के लिए वास्तविक उपयोक्ता "(2) मिथिल सैलूलोज़ के आयात के लिए प्रतिबन्धित आधार पर वास्तविक उपयोक्ता।"
44	खण्ड 2 क्रम सं० 1(ए)/3, कालम 4, टिप्पणी (1)	वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— "(1) वास्तविक उपयोक्ताओं की सोडियम नाइट्राइट की आवश्यकताओं को सार्वजनिक क्षेत्र अभिकरण के माध्यम से किए गए आयातों द्वारा प्रतिबन्धित आधार पर पूरा किया जाएगा। कृपया इस रेड बुक के लिए खंड 3 देखें।"
49	खंड 2, क्रम सं० 127-129/4, कालम 4, टिप्पणी (1)	(1) वर्तमान टिप्पणी (1) को निम्नलिखित टिप्पणियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— "(1) नीचे उल्लिखित सुगंधित रसायनों तथा सुगन्धित संमिश्रण के लिए विनिर्माताओं के अतिरिक्त प्राकृतिक सुगंधित तेल के आयात के लिए वास्तविक उपयोक्ता। "(2) नीचे उल्लिखित सुगंधित सत्त, कृत्रिम सुगंधित तेल, औषधीय उत्पाद, फल की डिब्बाबन्दी करने वाले उद्योगों, मिष्ठान, बिस्कुट, अगरबत्ती अंगराग तथा नहाने वाले साबुन के लिए विनिर्माताओं के अतिरिक्त प्राकृतिक सुगंधित तेल के आयात के लिए प्रतिबन्धित आधार पर वास्तविक उपयोक्ता।"

(1)	(2)	(3)
185	खंड 5, परिशिष्ट 21, कंडिका 2	अन्तिम पंक्ति अर्थात्, कोटा लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र प्रत्येक (क) तकनीकी पत्रिकाएं तथा दैनिक पत्र, (ख) नई पत्रिकाओं (ग) गैर-तकनीकी पत्रिकाएं तथा दैनिक पत्रों की 5 प्रतियों के साथ किए जाने चाहिए, को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :— "कोटा लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र आयात की जाने वाली (क) तकनीकी पत्रिकाएं तथा दैनिक पत्र ; (ख) समाचार पत्रिकाएं; तथा (ग) गैर-तकनीकी पत्रिकाएं तथा दैनिक पत्रों की सूचियों की 5 प्रतियों के साथ किए जाने चाहिए, " ।
291	खंड 5, परिशिष्ट 46, मद संख्या 6,	इस मद के विवरण को निम्न प्रकार से पढ़ने के लिए संशोधित किया गया समझा जाए :— "6. रबड़ तथा लकड़ी वाले से भिन्न बैट्री विभाजक" ।
341	खंड 5, परिशिष्ट 74,	उपर्युक्त क्रम संख्या 1(डी) (1)/3 के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियों को तत्सम्बन्धी कालमों के अन्तर्गत शामिल किया गया समझा जाए :—

1	2	3
1(ए)/3	सोडियम नाइट्राइट	रिहाई आदेश हकदारी के 25 प्रतिशत तक की सीमा तक जारी किए जाएंगे ।

341	खंड 5, परिशिष्ट 74, क्रम सं० 1(एफ)/3, कालम 2, मद (2) ईथिल सेलूलोज (संरक्षी आलेपों के विनिर्माण के लिए)	इस मद को हटाया गया समझा जाए ।

1	2	3
341	खंड 5, परिशिष्ट 74, क्रम सं० 127 — 129/4, कालम 2 मद (1)	इस मद के वर्तमान विवरण को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए । "(1) नीचे उल्लिखित से भिन्न सुवासित करने वाले सुगंधों, कृत्रिम सुगंधित तेलों, औषधीय उत्पादों, फलों को डिब्बों में भरने वाले उद्योगों, मिष्ठान, बिस्कुट अगरबत्ती, अंगराग तथा नहाने वाले साबुन के विनिर्माण के लिए प्राकृतिक सुगंधित तेल (अनुमेय प्रकार के) " ।
348	खंड 5, परिशिष्ट 74, क्रम संख्या 22,31/5 (परिशिष्ट–28), मद सं० 27, कालम 2 और 3	वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :—

2	3
27. (ए) आर्सेनिक ट्राइआक्साइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत या 10,000 रुपये इनमें जो भी कम हो ।
(बी) आर्सेनिक पेन्टाआक्साइड	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 5 प्रतिशत या 2,500 रुपये इनमें जो भी कम हो ।

349' 351	खंड 5, परिशिष्ट 74, क्रम संख्या 22,31/5 (परिशिष्ट 28)	क्रम सं० 56, 68, 70 तथा 94 पर आई हुई निम्नलिखित पी० वी० सी० स्थायीकारी के आयात की स्वीकृति लाइसेंस के अंकित मूल्य के 20 प्रतिशत तक या 10,000 रुपये इनमें जो भी कम है, तक दी जाएगी । 56. तरल बरियम कैडमियम, तथा बेरियम कैडमियम जस्ता संमिश्रण । 68. गैर-टौक्सिक स्थायीकारी । 70. ठोस बरियम कैडमियम संमिश्रण । कालम 3 में इन मदों के सामने की वर्तमान प्रविष्टियों को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाए ।

1	2	3
352	खंड 5, परिशिष्ट 74, परिशिष्ट 46 के सामने प्रदर्शित मदें।	(1) मद संख्या 5 के विवरण को निम्न प्रकार से संशोधित किया गया समझा जाए :— "5. बैट्री विभाजक (रबड़ तथा लकड़ी वाले से भिन्न) लेकिन पी० वी० सी० बैट्री विभाजकों को छोड़ कर।" (2) निम्नलिखित प्रविष्टियों को कालम 2 और 3 के अन्तर्गत शामिल किया गया समझा जाए :—

2	3
8. पी० वी० सी० बैट्री विभाजक	लाइसेंस के अंकित मूल्य का 25 प्रतिशत या 50,000 रुपये इन में जो भी कम हो

SUBJECT.—*Import policy for the year April* 1973—*March* 1974.

No. 134-ITC (PN)/73.—Attention of importers is invited to the import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book-Vol. I) for the period April 1973—March 1974.

2. The following amendments shall be made at appropriate places in the Import Trade Control Policy (Red Book-Vol. I) for the period April 1973—March 1974 :—

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments.
271	Section V, Appendix 41, Schedule 'C' S.No. 11 column 3, remark (*ii*).	The following new entry may be deemed to have been inserted as S. No. (*e*) :— "(*e*) For wiper arms and blades, import of stainless steel strips of 125mm maximum width and thickness 1·59 mm and below only will be allowed. For remaining Automobile/Automobile ancillary/Automobile parts industry, import of stainless steel strips and sheets will not be allowed. Import of stainless steel strips and sheets will not be allowed for airconditioner industry also."

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
274	Section V, Appendix 41, Schedule 'D' S.No. 12-B.P. sheets below 5mm in thickness (Hot rolled/cold rolled) columns 1, 2, and 3.	The existing entries may be deemed to have been substituted by the following :—

1	2	3
	12(a) B.P. sheets below 5mm in thickness (Hot rolled/cold rolled).	(*i*) Import of CRCA Deep drawing quality and extra. deep drawing quality allowed. (*ii*) Import of other qualities allowed upto 50 per cent of the requirement ; balance 50 per cent firm orders on producers nominated by S. No. 47 of Schedule P".

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports and Exports

विषय.—अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 वर्ष के लिए आयात नीति ।

सं० 134-आई० टी० सी० (पीएम)/73.—आयातकों का ध्यान अप्रैल 1973—मार्च, 1974 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा०—1) में यथा निहित आयात नीति की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० —1) में उचित स्थानों पर किए जाएंगे :—

रेड बुक (वा०—1) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधनों के ब्योरे
1	2	3
271	खंड 5, परिशिष्ट 41, अनसूची 'सी' क्र०सं० 2, कालम 3, टिप्पणी (1)	निम्नलिखित नई प्रविष्टि को क्रम संख्या (ई) के रूप में शामिल किया गया समझा जाए :— "(ई) वाइपर आर्मस तथा ब्लेडों के लिए केवल अधिकतम चौड़ाई में 125 मि० मी० और मोटाई में 1.59 मि० मी० तथा इस से

1	2	3
		कम की जंगावरोधी इस्पात की पट्टियों के आयात की स्वीकृति दी जाएगी। शेष आटोमोबाइल/आटोमबाइलसहायक/ आटोमबाइल पुर्जों के उद्योगों के लिए जंगावरोधी पट्टियों एवं चद्दरों के आयात की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। जंगावरोधी इस्पात पट्टियों के एवं चद्दरों के आयात की स्वीकृति वाय प्रर्गतक उद्योगों को भी नहीं दी जाएगी।"
274	खंड —5, परिशिष्ट 41, अनुसूची 'डी', क्रम संख्या 12—मोटाई में 5 मि० मी० से कम बी० पी० शीट (हाटरालुड/कोल्ड रालड), कालम 1, 2 और 3	वर्तमान प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया समझा जाए :—

1	2	3
"12 (ए)	मोटाई में 5 मि० मी० से कम बी० पी० शीट (हाट रालड/कोल्ड रालड)	(1) सी आर सी ए डीप ड्राविंग क्वालिटी तथा अतिरिक्त डीप ड्राविंग क्वालिटी का आयात स्वीकृत है।
		(2) अन्य क्वालिटी के आयात की स्वीकृति जरूरत के 50 प्रतिशत तक है; बाकी 50 प्रतिशत की स्वीकृति अनसूची 'एफ' की क्रम संख्या 47 द्वारा मनोनीत उत्पादकों को पक्के आदेश पर।"

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973